कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में हुए विलम्ब से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में एक मामला सं० 1996 का 3337 [जे० टी० 1997 (2) एस० सी० 463] निबटा रहा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को रिट याची के मामले पर विचार करने और तर्कसम्मत आदेश द्वारा उसे दो महीने के भीतर निबटाने का निदेश दिया था। न तो उक्त निदेश का अनुपालन किया गया न ही प्रतिवादी ने उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में समय बढ़ाए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध (वाद) खर्च की शास्ति लगाई। इसी संदर्भ में ही उच्चतम न्यायालय ने, न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही के बारे में टिप्पणी की । उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि न्यायालय की यह मंशा थी कि न्यायालय के निदेशों का तुरन्त अनुपालन किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो उसके संबंध में, विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए-सुनाए गए निर्णय, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु देश के कानून बन जाते हैं।

IAS Officers as Private Secretaries to Union Ministers

3302. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to the Union Ministers has been reviewed; and

(b) if so, the details thereof and the action taken to stop this practice which creates lot of problems for the senior officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) The practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers has been reviewed. There is, however, no change in the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers.

भारतीय वन सेवा परीक्षा को हिन्दी में लिया जाना

3303. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वन सेवा की परीक्षा का माध्यम हिन्दी न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी को उक्त परीक्षा का माध्यम बनाने का है; और

(ग) इस परीक्षा को कब से हिन्दी में संपन्न कराया जाना प्रारंभ होगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) से (ग) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ-समिति से अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम के रूप में लागू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा गया था। उपर्युक्त विशेषज्ञ-समिति द्वारा की गई सिफारिशें, इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। उपर्युक्त मामले की महत्ता, नज़ाकत और इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत होने के मद्देनज़र सरकार इस मामले में निर्णय लेने से पहले मतैक्य-आम राय क़ायम करने का प्रयास कर रही है।

Demoralisation of Assistants Cadre

3304. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the act that the Assistants cadre forms the backbone of the Central Secretariat Service;

(b) whether Government are aware of the wide-spread demoralisation of the Assistants cadre due to step-motherly treatment given by the Fifth Central Pay Commission;

(c) the steps Government propose to take to alleviate the status of this cadre